

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-7वि०शा०/मु०हजारी०-03-03/2019-33/19-20 4-64/राँची, दिनांक:-26.08.19

प्रेषक:

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिन्डू राँची

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विभिन्न कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग परिक्षेत्राधीन रु० 320.619 लाख (तीन करोड़ बीस लाख इकसठ हजार नौ सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विभिन्न कोडरमा जिला के ग्राम-सरबहना तथा गिरीडीह जिला के ग्राम- नावाडीह, नीमडीह एवं बेलाखुटा के पास सकरी नदी से हो रहे कटाव का कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग परिक्षेत्राधीन रु० 320.619 लाख (तीन करोड़ बीस लाख इकसठ हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि(रु)
1.	कोडरमा जिलान्तर्गत सतगावाँ प्रखण्ड के ग्राम-सरबहना Anti erosion work crated boulder and edge crating with launching apron	63,01,200.00
2.	गिरीडीह जिलान्तर्गत गावाँ प्रखण्ड के ग्राम-नावाडीह Anti erosion work crated boulder and edge crating with launching apron	67,08,700.00
3.	गिरीडीह जिलान्तर्गत गावाँ प्रखण्ड के ग्राम-नीमडीह Anti erosion work crated boulder and edge crating with launching apron	1,00,89,500.00
4.	गिरीडीह जिलान्तर्गत गावाँ प्रखण्ड के ग्राम-बेलाखुटा Anti erosion work crated boulder and edge crating with launching apron	89,62,500.00
कुल		3,20,61,900.00

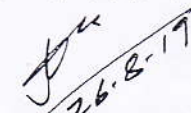
3. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, बरही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4. इस कार्य पर होने वाला व्यय :-

मुख्य शीर्ष 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष -01-बाढ़ नियंत्रण लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों के निर्माण के अन्तर्गत भारित होगा।

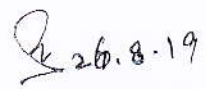
5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।
6. राशि की निकासी कोषागार, हजारीबाग से की जायेगी।
7. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
8. इन कार्यों को वर्ष 2019-20 में पूर्ण कर लिया जायेगा।
9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
10. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
11. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,


(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

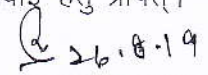
पत्रांक:-7वि०शा०/मु०हजारी०-03-03/2019-33/19-20 24.8.19/राँची, दिनांक:- 26.8.19

प्रतिलिपि:-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-7वि०शा०/मु०हजारी०-03-03/2019-33/19-20 24.8.19/राँची, दिनांक:- 26.8.19

प्रतिलिपि:- कोषागार, पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-7वि०शा०/मु०हजारी०-03-03/2019-33/19-20 य. ए. /राँची, दिनांक:- 26.08.19

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग /अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3 राँची एवं अवर सचिव-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 26.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-7वि०शा०/मु०हजारी०-03-03/2019-33/19-20 य. ए. /राँची, दिनांक:- 26.08.19

प्रतिलिपि: आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

 26.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-7वि०शा०/मु०हजारी०-03-03/2019-33/19-20 य. ए. /राँची, दिनांक:- 26.08.19

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

 26.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव